कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

प्रार्थी श्री फिरोजअली व अन्य
कस्म मुकदमा धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम

विपक्षी सरकार
प्रकरण संख्या 48 / 2024

	कार्यवाही विवरण
09/09/24	

—::निर्णय::—

उपस्थित:— श्री राकेश प्रजापत अधिवक्ता – प्रार्थीगण
पेरोकार सरकार तहसीलदार झल्लारा

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि मौजा नयागांव पटवार हल्का देवगांव तहसील झल्लारा जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 75 आराजी नम्बर/रकबा 16/0.0400, 17/0.1800 कुल किता 02 रकबा 0.2200 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं आधिपत्य की स्थित है। प्रार्थीगण की भूमि के सटमा आराजी नम्बर 11, 12, 15, 730/15, 21, 23, 18, 8 की भूमि के मध्य सीमाकंन नही होने की वजह को लेकर प्रार्थीया एवं पडोसी खातेदारो के मध्य में कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रार्थीगण ने पूर्व मे दिनांक 09–12–2023 को सीमा जानकारी करवाई लेकिन मौके पर विवाद होने से सीमाकंन नही हो पाया इसलिये मजबुर होकर प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड रहा है। प्रार्थीगण ने कई प्रयास किये कि पडौसियों की आपसी सहमति से सहमत होकर खेतो का सीमांकन करा पत्थरगढी करवा लेंगे लेकिन पडौसी सहमत नहीं हो रहे है। प्रार्थीगण अपने खेतो का सीमांकन करा पत्थरगढी करवाये जाने का विधिक अधिकारी है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण की आराजीयात की भूमि की पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार झल्लारा हाजिर आये जिन्होने जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थी के आराजीयात की भूमि हेतु पत्थरगढी के आदेश किये जाने पर कोई आपति नही होना जाहिर किया।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने बहस मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया एवं प्रार्थीगण के आराजीयात की भूमि की पत्थरगढी करने का आदेश जारी करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार तहसीलदार झल्लारा ने प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात की कृषि भूमि की पत्थरगढी आदेश जारी किये जाने पर कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया।

बहस मनन की गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित मौजा नयागांव पटवार हल्का देवगांव तहसील झल्लारा जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 75 आराजी नम्बर/रकबा 16/0.0400, 17/0.1800 कुल किता 02 रकबा 0.2200 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की होकर जमाबंदी मे नाम दर्ज अंकित है। प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर, जिला सलूम्बर

–:आदेश:–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा नयागांव पटवार हल्का देवगांव तहसील झल्लारा जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 75 आराजी नम्बर/रकबा 16/0.0400, 17/0.1800 कुल किता 02 रकबा 0.2200 हैक्टेयर भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर पत्थरगढी किये जाने हेतु पत्थर मय मजदूर खडडा करने एवं रोपने के लिये तहसीलदार को उपलब्ध करवाएं। साथ ही भू–अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी शुल्क तहसीलदार, भू.अ.नि. व पटवारी का एक दिन का वेतन मय वाहन खर्च राजकोष में जमा हो। पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये जाकर मौके पर मौतबीरान की उपस्थिति में प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सलुम्बर के नाम जारी की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/09/24 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर, जिला सलूम्बर
सलुम्बर